हरिभूमि
रायपुर मुख्य संस्करण - Page 2
Date 6 July 2025

जेल में वसूली के आरोप, हाईकोर्ट ने डीजी से मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जेल बंदियों के परिजनों से जबरन वसूली के गंभीर आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है।

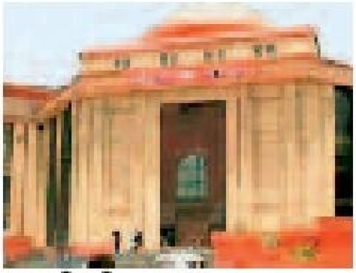

एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान यह मामला सामने आने पर कोर्ट ने प्रदेश के जेल महानिदेशक (डीजी) को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। लुकेश्वरी जोश अब्राहम द्वारा दाखिल इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की एकलपीठ में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता पर हत्या के मामले में जेल में बंद अपने पति और अन्य कैदियों के परिजनों से रकम वसूलने का आरोप है। बताया गया कि यह राशि अलग-अलग खातों में जमा कराई गई, जिनमें याचिकाकर्ता का खाता भी शामिल है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजी जेल को जवाब देने को कहा है।